रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1417] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2015/आषाढ़ 12, 1937
No. 1417] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2015/ASHADHA 12, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

का.आ. 1798(अ).—राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समर्थनकारी वातावरण उपलब्ध कराने तथा भारत के निर्यातों को प्रोत्साहित करने में राज्यों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने हेतु अवसरंचना का सृजन करने संबंधी उपायों के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निरंतर बातचीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

1	केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2	राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापार एवं वाणिज्य के प्रभारी मंत्री	सदस्य
3	भारत सरकार के सचिव : वाणिज्य, राजस्व, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक कार्य विभाग, एम.एस.एम.ई, वस्त्र, पर्यावरण	सदस्य
4	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
5	सचिव / सीईओ, नीति आयोग	
6	डी.जी.एफ.टी	
7	डी.जी.ई.पी	
8	निदेशक डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	
9	निदेशक आरआईएस	
10	डीजी फियो	
11	महासचिव, फिकी, सीआईआई एवं एशोचेम	
12	वाणिज्य विभाग से संबंधित संयुक्त सचिव	सदस्य सचिव
अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ का चयन कर सकते हैं।		

3. व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद हेतु संबंधित विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे –

i. निर्यातों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली बाधाओं और अवसंरचना अभावों का अभिज्ञान करना।

ii. अवसंरचनात्मक बाधाओं का समाधान करना तथा संबद्ध मंत्रालयों से समन्वयकारी व्यापक समर्थन के माध्यम से अवरोधों को हटाने संबंधी उपायों को सुविधाजनक बनाना।

iii. राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति के साथ राज्यों की निर्यात कार्यनीति का तालमेल बिठाना।

iv. व्यापार सुगमता के संबंध में राज्यों में एक समान पद्धति बनाना तथा करों के निर्यात से बचना।

v. राज्यों में क्षमता निर्माण को सुगम बनाना तथा 'निर्यात बंधु' तथा अन्य स्कीमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

vi. भारत के निर्यात प्रयासों में राज्यों को भागीदार बनाने हेतु अवसंरचना का सृजन करना।

4. परिषद सिफारिशकारी प्रकृति की होगी तथा प्रत्येक वर्ष में इसकी एक बैठक होगी। परिषद की बैठकें दिल्ली अथवा देश में कहीं भी आयोजित की जाएंगी। परिचर्चा के रिकॉर्ड को अनुरक्षित किया जाएगा।

5. संयुक्त सचिव, मुख्य धारा कार्य के प्रभारी परिषद का कार्य देखेंगे।

[सं 10/21/2015-एससी]

संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2015

S.O. 1798(E).—It has been decided to constitute the Council for Trade Development and Promotion with immediate effect in order to ensure a continuous dialogue with State Governments and UTs on measures for providing an International trade enabling environment in the States and to create a framework for making the States active partners in boosting India's exports.

2. The compositions of the Council for Trade Development and Promotion would be as below :-

1.	Union Commerce and Industry Minister	Chairperson
2.	Minister in-charge of Trade and Commerce in State Governments and UTs	Members
3.	Secretaries to Government of India : Commerce, Revenue, Shipping, Road Transport & Highways, Civil Aviation, Industrial Policy & Promotion, Agriculture, Animal Husbandry, Food Processing, Information Technology, Deptt. of Economic Affairs, MSME, Textiles, Environment	Members
4.	Chairman, Railway Board	Members
5.	Secretary / CEO, Niti Ayog	
6.	DGFT	
7.	DGEP	
8.	Director Centre for WTO Studies	
9.	Director RIS	
10.	DG FIEO	
11.	Secretary / Generals of FICCI, CII and ASSOCHAM	
12.	Concerned Joint Secretary in D/o Commerce	Member Secretary
Chairman can opt any other official or expert when required.		

3. The Terms of Reference for the Council for Trade Development and Promotion would be as follows:

i. To provide a platform to State Governments and UTs for articulating their perspectives on trade policy;

ii. To provide a platform to Government of India for apprising State Governments and UTs about international developments affecting India's trade potential and opportunities and to prepare them to deal with evolving situation;

iii. To help State Governments develop and pursue export strategies in line with national Foreign Trade Policy;

iv. To provide a platform for deliberation on the need for infrastructure relevant for promoting trade and for identification of impediments and infrastructure gaps which adversely affect India's exports;

v. To facilitate a mechanism for discussion on operationalization of trade infrastructure.

4. The Council will be recommendatory in nature and will meet at least once every year. The meetings of the Council will be held at Delhi or anywhere in the country. Records of the discussion will be kept.

5. The Council will be served by the Joint Secretary, in-charge of mainstreaming work.

[No. 10/21/2015-SC]

SANJAY CHADHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.